अपील सूचना अधिकार संख्या 122/2020 (RCMS 2020/00208) राजेन्द्र कुमार जैन निवासी 107 पुरानी धान मंडी, पोस्ट ऑफिस श्रीगंगानगर बनाम रजिस्ट्रार ऑफिस पोस्ट ऑफिस घड़साना मण्डी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार जैन की ओर से उनके अधिकार पत्र पर उनके पुत्र राहुल जैन उपस्थित है। उसने कथन किया कि उनके पिता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2020 प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो रजिस्ट्रार ऑफिस पोस्ट ऑफिस घडसाना जिला श्रीगंगानगर ने उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस पोस्ट ऑफिस घडसाना जिला श्रीगंगानगर से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार, घडसाना ने अपने पत्रांक विविध/2020/555 दिनांक 15.09.2020 के संलग्न अपीलार्थी की अपील इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2020 के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस पोस्ट ऑफिस घडसाना जिला श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. जगदीश राय पुत्र रामप्रताप खीचड निवासी घड़साना के नाम से क्या सम्पत्ति है। रिहायशी, खेती की व दुकान जो भी है बतावें। इनके पिताजी की खेती, जमीन 8 पीएसडी में है। उसमें जगदीश राय का क्या हिस्सा है।
2. बालाजी एग्रो इंड, घड़साना में फीड मिल लगी थी, वह किस नाम के मालिक की है, उसमें जगदीश राय का क्या हिस्सा था बतावें, अब यह फैक्ट्री बिक चुकी है या नहीं, शुरू से आज तक मालिक के नाम की डिटेल दें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय के पत्रांक 1291 दिनांक 05.10.2020 से तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से उक्त बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया था, जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु अपीलार्थी की उक्त अपील के साथ तहसीलदार, घड़साना का पत्रांक विविध/2020/497 दिनांक 31.08.2020 की प्रति संलग्न है जिसमें तहसीलदार, घडसाना ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना का विवरण पूर्ण नहीं है। आप द्वारा चाही गयी सूचना विस्तृत एवं प्रश्नात्मक है जो कि कार्यालय में संधारित नहीं है। अतः जो सूचना आप द्वारा चाही जा रही है, पूर्ण विवरण यथा पता, चक का नाम, मु.न., मकान नं. आदि विवरण भिजवाये। चक 8 पीएसडी तहसील रावला के क्षेत्राधिकार का है। प्रथम अपील प्राधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर, कार्यालय का पता जिला कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, दूरभाष नं. 0154—24400988 है।
>
> -sd-
> (दानाराम)
> तहसीलदार (राजस्व)
> घड़साना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जवाब दिया गया है वह उप पंजीयक की हैसियत ने देकर तहसीलदार की हैसियत से दिया गया है। इसलिए अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घडसाना द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है, सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर